

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 63/2026 अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

हंसराज पुत्र मामराज जाति जाट साकिन ढाणी लेघान तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. जगाराम पुत्र निहाला उर्फ बुटाराम जाति बाजीगर साकिन ढाणी लेघान तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 26/2/2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लेघान के खसरा सं. 1372/1333 की 4.502 है. में से 3.086 है. भूमि का वादी हंसराज, धर्मराम, रामकरण, श्योपतराम, हरिराम, पि. मामराज को खातेदार काश्तकार व खसरा संख्या 1643/1633 की 3.086 है0 व ख.नं. 1372/1333 की शेष भूमि 1.416 है. ख.नं. 1643/1633 में शामिल करते हुए कुल 4.502 है. भूमि का प्रतिवादी सं. 1 जगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक रिपोर्ट नक्शा तर्मीम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/2/2026  
.....को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

